...ालय उपखण्ड अधिकारी, देवली जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

...ल संख्या :– 350/2022

निर्णय दिनांक :– 04.3.2024

...नवानी दावा :–

~~1. रंगलाल पुत्र छोगा जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीप नगर तहसील देवली जिला टोंक (राज.)~~ (मृतक)

1/1. गुलाब पत्नि स्व0 रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीपनगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/2. डूंगरचन्द पुत्र स्व0 रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीपनगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/3. वेदप्रकाश पुत्र स्व0 रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीपनगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/4. दीपक पुत्र स्व0 रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीपनगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/5. हमोक पुत्री स्व0 रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीपनगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/6. लक्ष्मी पुत्री स्व0 रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीपनगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

1/7. सोना पुत्री स्व0 रंगलाल जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी प्रदीपनगर देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. घीसालाल पुत्र कूरा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. छोटूराम पुत्र कूरा जाति बलाई उम्र बालिग निवासी देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. जगदीश पुत्र लखमाराम जाति रेगर उम्र बालिग निवासी प्रदीप नगर देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. तहसीलदार जी देवली तहसील देवली जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमचन्द जैन

2. श्री अनिल चौहान अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली अप्रार्थीगण संख्या 4

–: निर्णय :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के च, आधिपत्य एवं खातेदारी की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 1097 ख0नं0 3020 रकबा है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवलीगांव तहसील देवली जिला टोंक में स्थित यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3021 रकबा 0.98 एवं खसरा नम्बर 2992 गै0मु० रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह कि प्रार्थी अपनी उक्त त खातेदारी की आराजी भूमि पर आम रास्ता खसरा नम्बर 2992 से अप्रार्थीगण संख्या 1 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3021 में से उत्तर दिशा की तरफ होकर बरसो से जा रहा है तथा उपयोग उपभोग करते आ रहा है तथा अपने कृषि संबंधी यन्त्र भी इसी स्ते से होकर लाता ले जाता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में जाने का अन्य कोई कल्पिक रास्ता नही है। यह कि राजस्व रिकार्ड मे आने जाने का रास्ता नहीं होने के कारण र्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 ने भी पनी भूमि में रास्ते को बंद कर दिया है इस कारण प्रार्थी अपनी भूमि को काश्त नही कर पा रहे है। यह कि प्रार्थी को अपनी उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये आम रास्ता खसरा नम्बर 2992 से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3021 मे से उत्तर दिशा कि तरफ होकर 15 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि प्रार्थी नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है। यह कि तहसीलदार जी देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 1097 खसरा नम्बर 3020 रकबा 0.99 है0 वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोक राज० पर आने जाने के लिये आम रास्ता खसरा नम्बर 2992 से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3021 में से उत्तर दिशा की तरफ 15 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 बावजूद अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 02 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार शर्मा ने यू.टी. ली व वकालतनामा, जवाबदावा पेश करने हेतु बार–बार अवसर चाहा। न्यायालय द्वारा बार–बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी वकालतनामा/जवाब प्रस्तुत नही किया। दौराने सुनवाई

न व वकालतन अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की

अप्रार्थीगण संख्या 04 तहसीलदार देवली की ओर से जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है :– प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 4.5 फीट लम्बाई 52 मीटर कुल क्षेत्रफल 234 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ता आबादी (देवलीगांव) से लगभग 2.5 किलोमीटर पुराने अजमेर रोड़ से 3.7 किलोमीटर व एन.एच 52 से 5.6 किलोमीटर दूर है। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 936486 रूपये प्रति हैक्टेयर जिसकी एक गुणा राशि 21914 व दुगुनी 43828 रूपये है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खसरा नं0 3021 में से रास्ता चाहता है जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड़ संरचना इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है।

पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा बहस के लिये निवेदन किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी से बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074–77 ग्राम देवलीगांव के आराजी खसरा नम्बर 3020 रकबा 0.99 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमाबंदी सम्वत् में ही खसरा नम्बर 3021 रकबा 0.98 है0 अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 2992 गै0मु0 रास्ते के रुप में सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित खातेदारी की आराजी भूमि पर आम रास्ता खसरा नम्बर 2992 से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 3021 में से रास्ता चाहता है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता अत्यान्तिक है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य पेड़ संरचना इत्यादि नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार देवली को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 3021 में से 4.5 मीटर चौड़ाई व 52 मीटर लम्बाई कुल क्षेत्रफल 234 वर्गमीटर भूमि को गै0मु0 रास्ते के रुप में सिवायचक खाते में, आप द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 28.11.22 के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित रास्ता अनुसार, दर्ज किया जावें। प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 936486 रूपये प्रति हैक्टेयर है, जिसकी एक गुणा राशि 21914 व दुगुनी 43828 रूपये अर्थात 43828 रुपये या वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते का अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदारान् को अप्रार्थी संख्या 01 ता 03 को उसके हिस्से अनुसार प्रदान करे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.3.2024 **सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
देवली (टोंक)